

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001

## प्रेस-नोट

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 24.08.2017 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 04 सदस्यों के त्याग-पत्र दे दिये जाने के कारण होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए उप निर्वाचन कराये जाने का कार्यक्रम घोषित किया गया था।

2. आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य श्री ठाकुर जयवीर सिंह द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे दिये जाने के कारण होने वाली रिक्ति को भरने के लिए भी उप निर्वाचन कराने जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

### :: निर्वाचन का कार्यक्रम ::

- |  |   |
|--|---|
| (1) नाम निर्देशन की अधिसूचना का दिनांक-                    | 31 अगस्त, 2017(बृहस्पतिवार)               |
| (2) नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक-                        | 07 सितम्बर, 2017(बृहस्पतिवार )            |
| (3) नाम निर्देशनों की जांच हेतु दिनांक-                    | 08 सितम्बर, 2017(शुक्रवार)                |
| (4) नाम वापसी हेतु अंतिम दिनांक-                           | 11 सितम्बर, 2017(सोमवार)                  |
| (5) मतदान का दिनांक-                                       | 18 सितम्बर, 2017(सोमवार)                  |
| (6) मतदान का समय   | प्रातः 9.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक    |
| (7) मतगणना का दिनांक-                                      | 18 सितम्बर, 2017(सोमवार) सायं 5.00 बजे से |
| (8) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा। | 20 सितम्बर, 2017(बुद्धवार)                |

लखनऊ:

दिनांक: 29.08.2017

  
(अमृता सोनी)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या: 1638(1)/सी0ई0ओ0-2-तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को 25 अतिरिक्त प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया इस प्रेस नोट को समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ को प्रसारणार्थ प्रेषित।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद सचिवालय, विधान भवन, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. मा0अध्यक्ष/महामंत्री समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

  
(अमृता सोनी)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी।